

Before the honourable National Green Tribunal (NGT)

New Delhi

In the matter of Dinesh Goyal & another

Vs

Ganesh Aggarwal & others

Written Statement on behalf of Respondent 4 is as follows :

1. Allegation against respondent no4 is nothing but it contains defamatory assertions. That no doubt he works in Zee Media which is a reputed channel and is known for his honesty , sincerity and efficiency in the journalism field and the defamatory assertion about respondent no.4 is to colour the self made story of applicants.
2. The allegation against respondent no. 4 is false of doing any encroachment or filling the well as he has never made any encroachment or has not intended to construct any shops at the relevant place. And further undertake not to make any encroachment or make any construction over the land.

Respondent - No. 4
Thrust



Respondent No. 4.

Manmohan Vig
Advocate, Meerut
D-196/85
Mob. 9358803386



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
SITTING AT NEW DELHI MEMORANDUM OF
APPLICATION**

IN THE MATTER OF :

Dinesh Goyal & anr.

...Applicants

Versus

Ganesh Aggarwal & ors.

....Respondents



AFFIDAVIT

I, Paras Goel S/o Vijay Kumar Goel , aged about 30 years, R/o 195 ,police street , sadar, Meerut, Uttar Pradesh-250001, do hereby solemnly affirm and declare as under:-



That the deponent is respondent no.4 in the above noted case and is well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.

2. That the accompanying written statement has been drafted by my counsel under my instructions and I depose that the contents of the same are true and correct and the contents of the same may kindly be read as part and parcel of this affidavit as the same are not being repeated herein for the sake of brevity.

Paras

3. That the facts stated therein are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Pooj

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Meerut on this.....day of august, 2025 that the contents of the affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Pooj

DEPONENT

Manmohan Vig

Manmohan Vig

Advocate, Meerut

D-196/85

Mob. 9358803386

Serial No.....*97*.....Coupon No.....*1*
Identified That Shri...*Pooj*
Identified by.....*M.M.V*
Date.....*30-8-25*

Oath Commissioner
PARAG AREN

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN

TRIBUNAL, SITTING AT NEW DELHI

MEMORANDUM OF APPLICATION

[Under Section 18(1) read with Section 14 of the National
Green Tribunal Act, 2010]

Original Application No. : 163 of 2025

IN THE MATTER OF

Dinesh Goyal & Another —Applicants

VERSUS

Ganesh Aggarwal & Others —Respondents

Written parawise reply of facts in brief narrated by
the respondent no. 4 Paras Goel is as follows:

1. It is a admitted fact that Bilweshwar Nath Mahadev Mandir is a old & ancient property which comes under the state archaeology department, Uttar Pradesh but not under the Archaeological Survey of India. It is also admitted that there is a well which comes under the state archaeology department. It is absolutely false that the respondents are involved in making money rather all the respondents are worshippers, devotes & social workers involved in the management and uplift of Jagannath Mandir which is in the premises of Bilweshwar Nath Mandir.

2. That it is absolutely again false that the respondents 1 to 12 are involved in grabbing the property of the said temple & as alleged against respondents 1 to 7, are the trustees of Bhagwan Shri Jagannath Mandir including Shri Vishnu Dutt Sharma, who is real brother of applicant no. 2 and the said trust is a registered body, registered at sub registrar Meerut. It is ridiculous to be stated by applicants that no such trust exist in the said temple. It is also mischievous that any forged document have been used and created in the name of temple, who are serving the temple with great vigour and purity. Rather the applicant no. 2 has formed a trust which consist of family members of applicant no. 2 including his nephew Miss Rashi Sharma, who is an advocate & is behind all the activities & allegations made against the respondents. That it is again false that the District judge Meerut has passed any order against the respondents regarding the documents. Rather the case filed by the respondents 2 and 6 against the applicant no. 1 & Vishnu Dutt Sharma, the brother of applicant no. 2 & the said case has been admitted by the honourable District judge Meerut for hearing. That it is false & and most unbecoming to allege by applicants in para no. 3 that the respondents are professional grabbers & mafias. The respondents reserve their right to file defamation case against them. The respondents have nothing to do in filling the well rather they have filed complaint against Mrs. Sudha Goswami, an aid of applicant no.1 & no.2 for this illegal act & it is noteworthy that in an enquiry made by Additional City Magistrate (ACM) Sadar Meerut has found Mrs. Sudha

Goswami guilty of filling the well in the complaint made by respondent no. 2 & 4. It is again false that the respondents have any nefarious design regarding the well or temple. It is all concocted & self-made story of the applicants to harass them. Other allegations narrated in para no. 3 are false and concocted one & the respondents have nothing to do with the allegations made in the para no. 3. All the allegations are defamatory & all respondents have right to sue the applicants. As regard the construction of Satsang Bhawan it was constructed by worshippers about 40-50 years ago & respondents have nothing to do with it. Satsang Bhawan is used for kirtan & other religious activities. The applicants are required to produce evidence to prove their case. The allegation against the respondent no. 9 is the repetition of earlier allegation made by the applicants, which has been earlier replied.

3. That Mr. Dinesh Goyal as narrated in para no. 4 is beyond doubt was Sabasad of Cantonment Board Meerut but his reputation in society is of a notorious man, he has several criminal cases pending against him. A perusal of criminal cases pending against applicant no. 1 Dinesh Goyal is attached for kind. That Ganesh Dutt Sharma, the applicant no. 2 has formed a family trust though already a registered trust consisting of respondents is working in Jagannath Temple, which clearly shows his nefarious design to grab the temple property. That it is pertinent to mention that applicant no. 2 & his brother are employee of the said temple & they are paid by the registered trust

of the respondents & none of them is the caretaker of the Jagannath Mandir.

4. That it is admitted fact that the temple is an ancient & old one & it is also a fact that the wife of Ravana used to worship in the said mandir & there has been a well since long which was filled by Mrs. Sudha Goswami, an aid of applicants. there are many mythological stories regarding the mandir that whole locality knows that Sudha Goswami has filled the said well & in order to grab the temple property the respondents are being tried to defamed by using ugly language and false allegations.
5. And as a matter of facts applicants themselves want to make some construction on the well & making false allegations against the respondents.
6. That the content of para no. 7 are nothing but a cock & bull story & the repetition of earlier allegation.
7. That the content of para no. 8 are absolutely false & has no bearing in this case.
8. That the content of para no. 9 are true that every year Jagannath Bhagwan rath yatra takes place & Vishnu Dutt Sharma is priest of Jagannath Mandir & he participates in the rath yatra along with the respondents no. 1 to 7. That it is absolutely false that in year 2024 permission was cancelled not because of any documents which are alleged to be false rather the said permission was cancelled because of law & order situation which arose because of disturbance made by the applicants & their allies & looking over the law & order situation. That

the rest of the content are repetition of earlier version given by applicants & have impleaded ADM city also as a party in the matter.

9. That the content of para no. 10 are nothing but repetition of earlier version given in the application in preceding paragraphs. The respondents have brought on record that after enquiry by ACM Sadar the said well was filled by Mrs. Sudha Goswami, an aid of applicants. A copy of the said enquiry report is attached in Annexure A.
10. That in para no. 11 of the application, the matter referred is between the applicants & Archaeological Survey Of India, state archaeology department, central ground water authority, central pollution control board & many other authorities. The respondents have nothing to state regarding this.
11. That para 12 of the application also pertains to Archaeological Survey of India, state archaeology department & as notices have been issued to these authorities also they are the best person to reply the same.
12. That no cause of action arises as alleged in para no. 13 for the reason that there is no encroachment from the side of the respondents as the applicants themselves have guilty motive & respondents have nothing to do anything as alleged in the application.
13. As regard to para no. 14 it is with regard to other authorities & the respondents have nothing to do with it.

GROUNDS

1. As far as grounds are concerned, no cause of action arise against the respondents because the respondents have not violated any norms rather it is the applicants who are making hue & cry for no reasons except to harass the respondents. The applicants are required to give evidence of all the facts narrated in the application.

Date: 3/10/28

Respondent No. 4

Paras Goel

Through - Counsel


Manmohan Vig

Advocate, Meerut

D-196/85

Mob. 9358803386

ANNEXURE:

- Certified copy of the enquiry report of ACM Sadar Meerut observing Mrs. Sudha Goswami for filling the well. Annexure A.

प्रपक,

अपर नगर मजिस्ट्रेट (सदर),
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

Annexure A.

पत्रांक : ११२/पेशकार/एसीएम-प्रथम/जॉच/ मेरठ/२०२३
महोदय,

दिनांक : १८/०९/२०२३

कृपया पवित्र गोयल, पारस गोयल, पवन गर्ग आदि के द्वारा महोदय को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक २१-०८-२०२३ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत श्री बिलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर सदर कैंन्ट स्थित थाना सदर बाजार मेरठ के पीछे सदर कैंन्ट के सम्बन्ध में इस आशय की शिकायत की गई है कि यह मन्दिर श्रीराम कालीन पौराणिक महत्व का ऐतिहासिक सिद्धपीठ है एवं पुरातत्व विभाग में संरक्षित स्मारक के रूप में पंजीकृत है, किन्तु इस मन्दिर में कोई प्रबन्ध कमेटी न होने के कारण, अत्यधिक अव्यवस्था है, मन्दिर परिसर में पशु विचरते रहते हैं, गन्दगी व अव्यवस्था के कारण यह पर भक्तों का आना-जाना काफी कम हो गया है, यह भी आरोप लगाया गया है कि मन्दिर की पूजारन श्रीमती सुधा गोस्वामी द्वारा मन्दिर के बाहरी द्वार पर पारिवारिक ट्रस्टी का बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें नाबालिग बच्चों का फोटो भी भावी ट्रस्टी के रूप में लगा रखा है। मन्दिर की गर्भगृह में भगवान शंकर की आरती का बोर्ड हटाकर सुधा गोस्वामी ने वहा पर अपने पूर्वजों का बोर्ड लगा दिया है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता की भावना आहत हुई है तथा इसके प्रति जनता में रोष है। अन्त में मन्दिर की दुर्दशा को रोकने हेतु, महोदय की अध्यक्षता में प्रबन्ध समिति गठित कर, मन्दिर की देख-रेख हेतु उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है।

इस शिकायत के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं मन्दिर परिसर का शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक १०-०८-२०२३ को भ्रमण किया गया, व मन्दिर की संरक्षक श्रीमती सुधा गोस्वामी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक १२-०९-२०२३ को नोटिस जारी किया गया। जिसके क्रम में सुधा गोस्वामी द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ में रामायण कालीन स्वयंभू शिवलीग प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) सदर मेरठ में सैकड़ों वर्ष पुराना है जिसमें माता मन्दोदरी रामायण काल में स्वयं शिवलिंग की पूजा अर्चना करने आती थी। ऐसा ५०५० प्र० व ५०६० प्र० में आज भी कहावत प्रचलित है। प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) के अलावा सूरजकुण्ड जो ऐतिहासिक स्थलीय पर बाबा मनोहर नाथ मन्दिर है, जो मन्दिर व मन्दिर के आस-पास सैकड़ों बीघा भूमि प्रार्थी के पूर्वजों की दादालाई सम्पत्ति है। प्रार्थी के पूर्वजों ने सदर मेरठ स्थित प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) जिस खेवट में बना है उसमें तथा सूरजकुण्ड स्थित जहां बाबा मनोहर नाथ मन्दिर बना है उसमें



खेवट में प्राणी के पूर्वजों ने जो सहस्वातेदार थे, उन्होंने आगरी गटगास करके सदर मेरठ स्थित प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) को प्राणी के पूर्वजों को दिया तथा बाबा मनोहरनाथ मन्दिर उमराव गिरी व उनके वंशजों को दिया गया।

प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) का रकबा खेवट संख्या 705 व 704 में स्थित है जबकि इतकाय खेवट 1394 ता 1397 फसाली में खेवट संख्या 163/1 में महन्तानी के पुरखे श्रीमती चौद रानी व सरोज कुमाशी शर्मा पुत्री अन्नत गिरी अंकित है। दरतावेज लेखक पवन गर्ग व कबाखी विजय गोगल उर्फ विज्जी का एक मात्र लक्ष्य मन्दिर परिसर की कसोखी रूपसे की सम्पत्ति में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करके जो मन्दिर परिसर में खाली भूमि पडी है, उसमें फण्ट की हुकाने बनवाकर, तथा सदर थाने की ओर खाली भूमि में रामलीला कमेटी, संस्कृति महाविद्यालय आदि के कार्यालय बनाकर धन उगाही का व्यवसाय शुरू किया जा सके, इसलिए प्राणी के पूर्वजों ने जो पारिवारिक ट्रस्ट करीब 40 वर्ष पहले गठन करके पंजीकृत कराया है, उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने व प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) की कोई कमेटी बनाने से साफ इन्कार कर दिया और इन लोगों की मन्दिर परिसर में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया। प्राणी के पूर्वजों द्वारा पारिवारिक ट्रस्ट पंजीकृत कराकर, अपने पूर्वजों की निजी मन्दिर की भूमि व भूमाफियाओ, मन्दिर माफियों व तथा कथित समाज सेवियों द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से कमेटी बना कर धन उगाही करने वाले गिरोह से भविष्य में मन्दिर की सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए ट्रस्ट का पंजीकृत कराया था और उक्त पारिवारिक ट्रस्ट केवल अपने पूर्वजों की निजी मिलकियत जो प्राणी के पूर्वजों की सैकड़ों वर्ष पुरानी सम्पत्ति है। भविष्य में भूमाफिया व मन्दिर माफिया इसे अपनी निजी मिलकियत बनाकर मन्दिर परिसर में प्राणी के पूर्वजों की जो मन्दिर पुरुष हुए उनकी सहाधियों को नष्ट करके उस भूमि को खाली कराकर, उस पर भी कोई व्यवसायिक गतिविधिया संचालित कराने के लिए नवनिर्माण ना करा सके इन गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए पारिवारिक ट्रस्ट बनाया गया है। जिसमें परिवार के बाहर के किसी भी सदस्य को ट्रस्टी बनाया जाना निशममदली के गिरुद्ध है। इसलिए इन लोगों को न तो हन्ने ट्रस्ट में शामिल किया और न ही प्राचीन बाबा महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर (सिद्धपीठ) के प्रबन्धन हेतु कोई नई कमेटी गठन करने उसकी सहमति दी और न ही अधिकृत किया गया।

प्रश्नगत मन्दिर आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में तहसीलदार मेरठ से आख्या प्राप्त की गई तहसीलदार मेरठ की आख्या पत्र संख्या 3439-बी0/आर0सी0/दिनांक 14-09-2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि खेवट संख्या 163 बाबा मनोहर नाथ मन्दिर से सम्बन्धित है कस्बा मेरठ दो क्षेत्र में बटा होने पहला भाग मेरठ मुजविता व दूसरा भाग मेरठ माफी दवाम की है। मेरठ मुजविता के अन्तिम खेवट क्रमांक 475 है तथा खेवट माफी दवाम का अन्तिम क्रमांक 445 है। इस प्रकार तहसीलदार मेरठ की आख्या से स्पष्ट है कि महाबिलेश्वर नाथ मन्दिर के स्वामित्व के सम्बन्ध में सुधा गोस्वामी द्वारा किया गया कथन असत्य है। शिकायतकर्तागण द्वारा अपनी शिकायत के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये मेरठ कैंट के जनरल लैन्ड रजिस्ट्रर के उद्घरण के अनुसार सर्वे नं0 387 पेज नं0 डी0ओ0 04/104 के अन्तर्गत क्षेत्रफल 0.5390 एकड, अभिलेखों में हिन्दू कम्युनिटी के नाम अंकित है। शिकायतकर्तागण द्वारा अंकित कराये गये




व्याजान व स्थलीय निरीक्षण पर यह तथ्य विशेष रूप से संज्ञान में आया कि महाविलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर एक श्रीराम कालीन पौराणिक सिद्धपीठ है एवं मन्दिर परिसर में लगे बोर्ड के अनुसार संरक्षित स्मारक के रूप में मंजीकृत है। जाँच के दौरान मन्दिर परिसर में अत्यधिक गंदगी व अव्यवस्था पायी गई। मन्दिर के गर्भगृह में पूजारी श्रीमती सुधा गोरवाणी द्वारा अपने पूर्वजों की फोटो लगा होना पाया गया। जिससे क्षेत्र की जनता की धार्मिक भावना आहत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मन्दिर परिसर में ही एक प्राचीन स्थित कुएं को भी श्रीमती सुधा गोरवाणी द्वारा बन्द कराकर, प्राचीन स्मृति को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन व निरीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट है कि महाविलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर कोई गिजी आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति न हो कर, भगवान की पूजा अर्चना किये जाने का स्थान है तथा जहाँ पर भगवान का ही निवास होता है। इस सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किराी भी मन्दिर के पुजारी का अधिकार क्षेत्र उस मन्दिर की सम्पत्ति के संरक्षण/देखभाल व रोजमर्रा की धार्मिक क्रियाकलाप करने तक ही सीमित होता है तथा वह मन्दिर के स्वायत्त को हासिल नहीं कर सकता है। मन्दिर का असली स्वायत्त शदैव भगवान में ही समाहित होता है। उपरोक्त सिद्धान्त को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4850/2021 स्टेट मध्यप्रदेश बनाम पुजारी उद्यान एवं कल्याण समिति व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08-09-2021 में प्रतिपादित किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित होगा कि सदर मेरठ कैंट स्थित श्री महाविलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर में व्याप्त अव्यवस्था, देख-रेख व साफ सफाई एवं मन्दिर परिसर की सम्पत्तियों की सुरक्षा व नित्ये कार्यों के लिए अनुष्ठाण व विकास हेतु, क्षेत्र के सम्मान्य नागरिकों की एक समिति गठित किया जाना उचित होगा।


आस्था मठोदय की सेवा में अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु, सादर प्रेषित।

संलग्न उपरोक्तानुसार।



18-9-2023

(संजय कुमार)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम),
मेरठ।



कीमत टिकट 20.00
तिथि प्रार्थना पत्र 29/05/2025
तिथि नोटिस 25
तिथि देने की 29/05/2025

सत्य प्रतिनिधि

संयोजक
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)
मेरठ
29/05/2025

जिला ब



शान, मेरठ

पंजीकरण संख्या 334/02/1903-34

पुस्तक संख्या

06

स्थापित वर्ष 1920

क्रम संख्या

03

न्यायालय Hon. National Green Tribunal, New Delhi

वाद/विविधवाद/सिविल अपील/निष्पादन मामला नं० सन् 20२५

Dinesh Goel & others

वादी/अपीलार्थी/डिग्रीदार

विपरित Paras Goel Respondent No. 4

प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता/प्रतिपक्षी/निर्णीत

ऋणीवादी / अपीलार्थी / प्रार्थी / डिग्रीदार प्रतिवाद / प्रत्युत्तर दाता / प्रतिपक्षी निर्णीत ऋणी की ओर से अभिभाषक पत्र उपर्युक्त मामले से श्री Man Mohan Vig

प्रत्येक निम्न हस्ताक्षरकर्ता की ओर से

Manmohan Vig
Advocate, Meerut
D-196/85
Mob. 9358803336

..... को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है वह स्वयं अथवा किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से जिस प्रकार वह उचित समझे उपस्थित हो, प्रतिपादन करें विशेष रूप से निम्न कार्य करें अर्थात् न्यायालय की कोई आदेशिका प्राप्त करें (किसी अपीलीय अथवा पुनः निरीक्षण न्यायालय की सूचना को सम्मिलित करते हुये) कोई प्रार्थना पत्र याचिका अभिवादन प्रस्तुत करें, कोई अभिलेख प्रस्तुत करें, अथवा वापिस लेवे कार्यवाहियों का प्रत्याहृत करें, समझौता करें, किसी विषय को मध्यस्थ निर्दिष्ट करें, कोई धन जमा करें अथवा वापिस ले किसी अज्ञाप्त अथवा आदेश का निष्पादन कराये ऐसी अज्ञाप्ति अथवा आदेश के अन्तर्गत किसी देय धन के संदाय को प्रमाणित करें अथवा प्राप्त करें। उपर्युक्त मामले में (किसी अपील अथवा पुनरीक्षण को सम्मिलित करते हुए) मैं अघोहस्ताक्षर की ओर से अधिवक्ता द्वारा जो कुछ भी किया जायेगा अघोहस्ताक्षर उस सबके लिए बाध्य रहेगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम

तिथि

अनुप्रमाणक साक्षी

पूर्ण नाम

पता

तिथि

हस्ताक्षर

Manmohan Vig
Advocate, Meerut
D-196/85
Mob. 9358803336

स्वीकृत अनुप्रमाणक साक्षी के हस्ताक्षर के आधार पर स्वीकृत